न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–36/2017/टोंक (2017/00037)

1. फूलचंद पुत्र पांचू,
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू,
3. कैलाश पुत्र सुखपाल,
4. राधेश्याम पुत्र सुखपाल,

समस्त जाति काछी, नि0 अलीगढ़,तह0 उनियारा, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. गोपाल पुत्र पीरू,
2. राधेश्याम पुत्र पीरू,
3. गोरधन पुत्र पीरू,
4. जानकी पुत्री पीरू,
5. नाथी पुत्री पीरू,
6. सीता पुत्री पीरू,
7. परसादी बेवा पीरू,

समस्त जाति काछी, नि0 अलीगढ़, तह0 उनियारा, जिला टोक ।

8. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा दिनांक 7.4.2010 अंतर्गत अपील संख्या 43/2002.

उपस्थितः–

1. श्री लोकेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 7 अनुपस्थित ।
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 4.7.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के दादा भैरू उर्फ भूरा पुत्र रामबक्ष काछी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक आराजी खसरा नंबर 201 जिसके हाल खसरा नंबर 565 रकबा 1.02 है0 व खसरा संख्या 574 रकबा 1.09 है0 है। ग्राम नवाब पुरा तहसील उनियारा में अवस्थित है जो भूरा की मृत्यु उपरांत अपीलांटस के नाम खातेदारी में अंकित होनी चाहिये थी किन्तु गलती से नाम की समानता के कारण विवादित भूमि पीरू पुत्र भूरा के नाम अंकित हो गई, जिसमें पीरू के बाबा अथवा भूरा के पिता का नाम दल्ला था । इस बाबत् अपीलांटस की ओर से एक वाद सहायक कलक्टर, उनियारा के न्यायालय में वास्ते इस्तकरार हक एवं दुरूस्त इंद्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें सहायक कलक्टर, उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 7.6.1997 द्वारा दिनांक विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् पक्षकारों को आगामी पेशी दिनांक 21.7.1997 तक पाबंद कर रखा था । उक्त आदेश के बावजूद तहसीलदार, उनियारा ने नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 को रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के पक्ष के पक्ष में स्वीकृत कर दिया । अपीलांटस ने तहसीलदार, उनियारा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध प्रस्तुत की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने निर्णय दिनांक 7.4.2010 द्वारा अपीलांटस की अपील को अपास्त किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 मे अपीलांटस ने विवादित भूमि बाबत् खातेदारी घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था जिसमें अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.6.1997 द्वारा विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये थे । उक्त स्थगन आदेश

के प्रभावी रहते तहसीलदार, उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 25.6.1997 द्वारा नामांतकरण संख्या 68 स्वीकृत कर दिया था जबकि उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी रहते राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा उठाये गये इस कानूनी बिन्दू को बिना निर्णित किये आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, उनियारा ने विवादित नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे उनका निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । विवादित भूमि अपीलांटस के दादा भैरू उर्फ भूरा पुत्र रामबक्ष काछी के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जो भूरा की मृत्यु के उपरांत अपीलांटस के नाम खातेदारी में अंकित होनी चाहिये थी किन्तु गलती से नाम की समानता के कारण विवादित भूमि पीरू पुत्र भूरा के नाम अंकित हो गई जिसमें पीरू के बाबा अथवा भूरा के पिता का नाम दल्ला था तथा इस बाबत् अपीलांटस ने सक्षम न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत कर रखा है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के पिता/पति का नाम भी पीरू होने के कारण इन्होंने उक्त पीरू के नाम का गलत फायदा उठाते हुए विवादित नामांतकरण आदेश स्थगन के बावजूद स्वीकृत करवा लिया जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार, उनियारा ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 68 स्वीकृत करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे के बारे में कोई जांच नहीं की एवं न ही उन्होंने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1956 के नियम 119 से 121 की पालना की है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर उनके समक्ष विचाराधीन अपील मे अपनी अतिसूक्ष्म फाईण्डिग द्वारा अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद जिस प्रकार राजस्व रिकार्ड में फेरबदल किया गया है उसे यथावत् रखने का अधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 7.4.2010 एवं तहसीलदार, उनियारा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6. 1997 को निरस्त किया जावे । xx

4- अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा दिनांक 7.4. 2010 को 3 अपीलों का एक साथ निस्तारण किया गया था तथा उक्त सभी अपीलों में निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया था । प्रार्थी ने उक्त तीनों अपीलों के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेकर अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो उन्होंने प्रार्थी को आश्वस्त कर दिया कि उनके द्वारा अजमेर में अभिभाषक नियुक्त कर अपीलें प्रस्तुत देंगे । तत्पश्चात् प्रार्थी उन्हें वकालतनामें व हस्ताक्षरशुदा पाई पेपर देकर अपने गांव अलीगढ़ चला गया किन्तु हाल ही में प्रार्थी को अजमेर में नियुक्त अभिभाषक ने अजमेर आकर संपर्क करने को कहा तब प्रार्थी अजमेर आया

एवं अपने अभिभाषक से तीनों प्रकरणों के बारे में जानकारी की तो अवगत कराया कि केवल एक ही प्रकरण संख्या 28/2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है एवं अन्य प्रकरणों की कोई पत्रावली या दस्तावेज उन्हें प्राप्त नहीं हुए है । तत्पश्चात् प्रार्थी अपने पूर्व अधिवक्ता श्री पी0सी0जैन से मिला एवं उनसे प्रकरण की पत्रावली व प्रमाणित प्रतियां लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में अपनी ओर से कोई लापरवाही नहीं की है एवं जो देरी हुई है वह उनके उनियारा में नियुक्त अभिभाषक की लापरवाही से हुई है जिसका खामियाजा प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम तहसीलदार, उनियारा ने नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 को विरासततन स्वीकृत किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में विवादित आराजी भूरा वल्द रामबक्ष के नाम दर्ज थी । भूरा वल्द रामबक्ष की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी जरिये नामातकरण संख्या 36 पीरू पुत्र भूरा के नाम दर्ज हुई थी तथा पीरू की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 के रेस्पो0संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज हुई है । नामांतकरण संख्या 68 विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया है । विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद लंबित है जिसमें होने वाले निर्णय के अनुसार अपीलांट्स कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु तब तक नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 25.6.1997 जो कि विरासत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है जिसमें हम कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 7.4.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

—:क्रियात्मक आदेशः—

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 36/2017 (2017/00037) बउनवानी फूलचन्द बनाम गोपाल व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उनियारा द्वारा अपील संख्या 43/2002 बउनवान फूलचंद बनाम गोपाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 7.4.2010 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.01 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: